

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :- प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.

(1) प्रकरण संख्या 20/2024 (राजसमन्द डिक्री)

1. शिवकुमार पिता स्वर्गीय जगन्नाथ, निवासी भलावतों का खेड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. शंकरलाल पिता स्वर्गीय जगन्नाथ, निवासी भलावतों का खेड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. बालकृष्ण पिता स्वर्गीय मगनलाल, निवासी भलावतों का खेड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. गोपाललाल पिता स्वर्गीय मगनलाल, निवासी भलावतों का खेड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
5. गोविन्द कुमार पिता स्वर्गीय मगनलाल, निवासी भलावतों का खेड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
6. अशोक कुमार पिता स्वर्गीय मगनलाल, निवासी भलावतों का खेड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
7. गोवर्धनलाल मृतक के विधिक उत्तराधिकारी :-
 - 7/1. पूर्णाशंकर पिता स्वर्गीय गोवर्धनलाल, निवासी भलावतों का खेड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
 - 7/2. मदनलाल पिता स्वर्गीय गोवर्धनलाल, निवासी भलावतों का खेड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
 - 7/3. ताराशंकर पिता स्वर्गीय गोवर्धनलाल, निवासी भलावतों का खेड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
 - 7/4. कैलाश पिता स्वर्गीय गोवर्धनलाल, निवासी भलावतों का खेड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
 - 7/5. राजू देवी पिता स्वर्गीय गोवर्धनलाल, निवासी भलावतों का खेड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
 - 7/6. भागु देवी पिता स्वर्गीय गोवर्धनलाल, निवासी भलावतों का खेड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
 - 7/7. शान्ति देवी पिता स्वर्गीय गोवर्धनलाल, निवासी भलावतों का खेड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
 - 7/8. कमला पिता स्वर्गीय गोवर्धनलाल, निवासी भलावतों का खेड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
8. जमनाशंकर पिता स्वर्गीय नारायणलाल, निवासी भलावतों का खेड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)



भू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

9. चतुर्भुज मृतक के विधिक उत्तराधिकारी :-

- 9/1. जगदीशचन्द्र पिता स्वर्गीय चतुर्भुज निवासी भलावतों का खेड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
- 9/2. रामचन्द्र पिता स्वर्गीय चतुर्भुज निवासी भलावतों का खेड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
- 9/3. पुष्कर पिता स्वर्गीय चतुर्भुज निवासी भलावतों का खेड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
- 9/4. रमेशचन्द्र पिता स्वर्गीय चतुर्भुज निवासी भलावतों का खेड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
- 9/5. राजेश पिता स्वर्गीय चतुर्भुज निवासी भलावतों का खेड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

10. पन्नालाल पिता स्वर्गीय भेरूलाल, निवासी भलावतों का खेड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

11. भंवरलाल मृतक के विधिक उत्तराधिकारी :-

- 11/1. नन्दकिशोर पिता स्वर्गीय भंवरलाल, निवासी भलावतों का खेड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
- 11/2. हीरालाल पिता स्वर्गीय भंवरलाल, निवासी भलावतों का खेड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
- 11/3. लोकेश पिता स्वर्गीय भंवरलाल, निवासी भलावतों का खेड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्तगण

बनाम

1. देवकिशन मृतक के विधिक उत्तराधिकारी :-


- 1/1. द्वारकादास पिता श्री हीरालाल, निवासी स्वास्तिक सिनेमा के पास, कांकरोली, तहसील एवं जिला राजसमन्द (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. नगरपालिका नाथद्वारा जरिये आयुक्त, नगरपालिका नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

उपस्थित :- 1. श्री प्रदीप पुरोहित अभिभाषक अपीलान्तगण

2. श्री अनिल कुमार बागोरा अभिभाषक रे.सं. 1

3. श्री पूर्णाशंकर पालीवाल अभिभाषक रे. सं. 3



(Handwritten Signature)
 भू.प्र.अ. एवं राजस्व अपील अधिकारी
 राजसमन्द (राज.)

(2) प्रकरण संख्या 25/2024 (राजसमन्द डिक्री)


नगरपालिका नाथद्वारा जरिये आयुक्त, नगरपालिका नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्तगण

बनाम

1. द्वारकादास पिता श्री हीरालाल, निवासी स्वास्तिक सिनेमा के पास, कांकरोली, तहसील एवं जिला राजसमन्द (राज.)
- 1/1. द्वारकादास पिता श्री हीरालाल, निवासी स्वास्तिक सिनेमा के पास, कांकरोली, तहसील एवं जिला राजसमन्द (राज.)
2. शिवकुमार पिता स्वर्गीय जगन्नाथ, निवासी भलावतों का खेड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. शंकरलाल पिता स्वर्गीय जगन्नाथ, निवासी भलावतों का खेड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. बालकृष्ण पिता स्वर्गीय मगनलाल, निवासी भलावतों का खेड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
5. गोपाललाल पिता स्वर्गीय मगनलाल, निवासी भलावतों का खेड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
6. गोविन्द कुमार पिता स्वर्गीय मगनलाल, निवासी भलावतों का खेड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
7. अशोक कुमार पिता स्वर्गीय मगनलाल, निवासी भलावतों का खेड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
8. गोवर्धनलाल मृतक के विधिक उत्तराधिकारी :-
 - 8/1. पूर्णाशंकर पिता स्वर्गीय गोवर्धनलाल, निवासी भलावतों का खेड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
 - 8/2. मदनलाल पिता स्वर्गीय गोवर्धनलाल, निवासी भलावतों का खेड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
 - 8/3. ताराशंकर पिता स्वर्गीय गोवर्धनलाल, निवासी भलावतों का खेड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
 - 8/4. कैलाश पिता स्वर्गीय गोवर्धनलाल, निवासी भलावतों का खेड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
 - 8/5. राजू देवी पिता स्वर्गीय गोवर्धनलाल, निवासी भलावतों का खेड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
 - 8/6. भागु देवी पिता स्वर्गीय गोवर्धनलाल, निवासी भलावतों का खेड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)





 भू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
 उदयपुर (राज.)

- 8/7. शान्ति देवी पिता स्वर्गीय गोवर्धनलाल, निवासी भलावतों का खेड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
- 8/8. कमला पिता स्वर्गीय गोवर्धनलाल, निवासी भलावतों का खेड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
9. जमनाशंकर पिता स्वर्गीय नारायणलाल, निवासी भलावतों का खेड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
10. चतुर्भुज मृतक के विधिक उत्तराधिकारी :-
- 10/1. जगदीशचन्द्र पिता स्वर्गीय चतुर्भुज निवासी भलावतों का खेड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
- 10/2. रामचन्द्र पिता स्वर्गीय चतुर्भुज निवासी भलावतों का खेड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
- 10/3. पुष्कर पिता स्वर्गीय चतुर्भुज निवासी भलावतों का खेड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
- 10/4. रमेशचन्द्र पिता स्वर्गीय चतुर्भुज निवासी भलावतों का खेड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
- 10/5. राजेश पिता स्वर्गीय चतुर्भुज निवासी भलावतों का खेड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
11. पन्नलाल पिता स्वर्गीय भेरूलाल, निवासी भलावतों का खेड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
12. भंवरलाल मृतक के विधिक उत्तराधिकारी :-
- 12/1. नन्दकिशोर पिता स्वर्गीय भंवरलाल, निवासी भलावतों का खेड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
- 12/2. हीरालाल पिता स्वर्गीय भंवरलाल, निवासी भलावतों का खेड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
- 12/3. लोकेश पिता स्वर्गीय भंवरलाल, निवासी भलावतों का खेड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोंडेन्ट

- उपस्थित :- 1. श्री पूर्णाशंकर पालीवाल अभिभाषक अपीलान्त
2. श्री प्रदीप पुरोहित अभिभाषक रे.सं. 1 से 12/3
3. श्री अनिल बागोरा अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट सं. 1

 अपीलें अन्तर्गत धारा-223 राजस्थान
 का.अ.-1955 विरुद्ध निर्णय उपखण्ड
 अधिकारी नाथद्वारा निर्णय व डिक्री
 दिनांक 16.01.2024 प्र.सं. 270/2012


 भू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
 सदायपुर (राज.)




निर्णयदिनांक 12-07-2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारकादास के पूर्वाधिकारी श्री देवकिशन ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं इन्द्राज दुरस्ती का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भलावतों का खेड़ा, तहसील नाथद्वारा में पक्षकारान की आराजी नंबर 215 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा, आराजी नंबर 598/212 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा, आराजी नंबर 599/215 रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा एवं आराजी नंबर 699/215 रकबा 13 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 40 बीघा 5 बिस्वा भूमि स्थित है। आराजी नंबर 600/215 रकबा 18 बीघा 9 बिस्वा के पुराने नंबर 278/1 मी. बी रकबा 13 बीघा 9 बिस्वा है। आराजी नंबर 664/600 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा एवं आराजी नंबर 660/600 के पुराने नंबर 600/215 रकबा 18 बीघा 9 बिस्वा थे। आराजी नंबर 215 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा के पुराने नंबर 278 10 बी मी. रकबा 50 बीघा थे। वादी के नाम आराजी नंबर 664/600 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा ही दर्ज है, जबकि रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा दर्ज होना चाहिए था। इस प्रकार 4 बीघा 13 बिस्वा भूमि कम दर्ज हुई है, जो सहवन से आराजी नंबर 278 बी में शामिल कर ली गयी है, जबकि वादी का कब्जा 8 बीघा 9 बिस्वा पर चला आ रहा है, किन्तु भूमि कम दर्ज होने से इन्द्राज दुरस्ती की जाना आवश्यक है। अतः वाद वर्णित आराजी नंबर 664/600 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा ही वादी के नाम दर्ज है, जबकि 8 बीघा 9 बिस्वा दर्ज होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई है एवं 4 बीघा 13 बिस्वा भूमि कम दर्ज हुई है, जो दुरस्त करायी जावे।

उक्त वाद के खण्डन का जवाबदावा प्रतिवादी संख्या 1 से 11 की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि अकेले वादी की नहीं होकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 11 की के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की है। वादी का केवल 1/6 हिस्सा है। न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण भूमि का विधिवत विभाजन 1997 में किया जाकर डिक्री जारी की जा चुकी है। वादी ने अपने स्वयं के हिस्से की भूमि का विक्रय कर दिया है एवं बदनियति से भूमि अकेले के नाम कराने हेतु वाद प्रस्तुत किया है, जो निरस्त किया जावे।




 भू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
 उदयपुर (राज.)


प्रतिवादी संख्या 1 से 11 की ओर से प्रतिदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि 278 मी. सेटलमेन्ट से पूर्व वादी व प्रतिवादीगण के खातेदारी में दर्ज थी, किन्तु वक्त सेटलमेन्ट उक्त भूमि के नये नंबर 608/215 कायम होकर उक्त भूमि के तत्कालीन खातेदार को अतिकमी घोषित कर दिया गया। सन् 1968 में परिशोधन पत्र के जरिये सुधार किया जाकर उक्त भूमि पुनः खातेदारान के नाम अंकित नहीं किया गया, जबकि सभी पक्षकारान आपसी सहमति से भूमि का उपयोग-उपभोग कर रहे हैं। अतः प्रतिवादीगण का प्रतिदावा स्वीकार कर विवादित आराजी में वादी का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का 1/6 हिस्सा, गोवर्धन के वारिस पूर्णाशंकर, मदन, ताराशंकर, कैलाश तथा चतुर्भुज व जमनाशंकर का 1/6 हिस्सा, पन्नालाल का 1/12 हिस्सा, भगवानलाल के वारिस भंवरलाल का 1/6 हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज कराया जावे।

प्रतिवादी संख्या 12 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राज्य सरकार को पक्षकार नहीं बनाया है, जिससे सरकारी भूमि की सुरक्षा नहीं हो पायेगी जिस वजह से वाद चलने योग्य नहीं है। उन्होंने यह भी कथन किया कि नगरपालिका नाथद्वारा क्षेत्र में सरकारी भूमि पर नगरपालिका नाथद्वारा का स्वामित्व व आधिपत्य होता है, जिससे नगरपालिका नाथद्वारा को पक्षकार बनाये बिना वाद चलने योग्य नहीं है। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के जवाब व प्रतिदावे का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा नंबर 664/600 पर प्रतिवादीगण का कब्जा नहीं है, बल्कि वादी ही उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा यह भूमि राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम दर्ज है। विवादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने वादी के वाद, प्रतिवादी के प्रतिवाद तथा जवाबदावे के आधार पर 11 तनकियां कायम की एवं बाद में नगरपालिका के जवाबदावे व वादी के जवाबुल जवाब के आधार पर 4 तनकियां कायम की एवं उभयपक्षों की बहस सुनकर तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 16-01-2024 से वादी का वाद स्वीकार करते हुए विवादित आराजी




 भू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
 उदयपुर (राज.)

का वाद पत्र की कलम संख्या 1 एवं संलग्न नक्शे अनुसार खातेदार घोषित करते हुए आराजी नंबर 664/600 का रकबा दुरस्त कर 3 बीघा 16 बिस्वा के स्थान पर 8 बीघा 9 बिस्वा अंकित किये जाने का आदेश दिया तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया।


अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 16-1-2024 से रूफ्ट होकर अपील संख्या 20/2024, जिसे आगे चलकर प्रथम अपील के नाम से संबोधित किया जायेगा, रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 11 शिवकुमार व अन्य द्वारा दिनांक 19-03-2024 को तथा अपील संख्या 25/2024 जिसे आगे चलकर द्वितीय अपील के नाम से संबोधित किया जायेगा, प्रतिवादी संख्या 13 नगरपालिका द्वारा दिनांक 13-05-2024 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

दोनों अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर उनकी ओर अधिवक्ता श्री अनिल कुमार वागेरा, पूर्णाशंकर पालीवाल व प्रदीप पुरोहित उपस्थित हुए। अभिभाषक अपीलान्त द्वारा लिखित बहस एवं मुख्य कानूनी बिन्दु प्रस्तुत किये गये, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दोनों ही अपीलें अधिनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या 270/2022 में दिनांक 16-01-2024 को पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत होने तथा विवादित आराजियात समान होने से दोनों अपीलों का एक ही निर्णय लिखाया जा रहा है। निर्णय की एक-एक प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जावे।

प्रथम अपील संख्या 20/2024 के अपीलान्तगण द्वारा अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी उन्हें प्रथम बार दिनांक 28-02-2024 को तब हुई जब भूमि के दलाल मौके पर आये। जानकारी होते हुए नकल का आवेदन प्रस्तुत किया एवं नकले प्राप्त होते ही अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलें अन्दर मियाद शुमार की जावे। तार्ईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।




 मू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
 उदयपुर (राज.)


इसी प्रकार द्वितीय अपील संख्या 25/2024 के अपीलान्ट द्वारा भी अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया एवं निवेदन किया कि उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी उन्हें प्रथम बार दिनांक 03-04-2024 को हुई। निर्णय व डिक्री की जानकारी होते हुए नकल का आवेदन प्रस्तुत किया एवं नकले प्राप्त होते ही अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलें अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त दोनों प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। दोनों ही अपीलें प्रस्तुत करने में बहुत अधिक विलम्ब नहीं हुआ है अतः प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मियाद अधिनियम के दोनों प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर दोनों अपीलें श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।



प्रथम अपील संख्या 20/2024 के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों एवं अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने वादी को अवांछित लाभ पहुंचाने की दृष्टि से अपीलान्ट के राजस्व रेकार्ड में नामान्तरकरण, मौके पर कब्जा, राजस्व अधिकारियों के पत्रों, अपीलान्ट के प्रतिवादी एवं शहादत पर बिना को गौर किये वाद स्वीकार कर डिक्री जारी कर दी, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। उन्होंने यह भी बताया कि दौराने वाद कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 9 चतुर्भुज एवं प्रतिवादी संख्या 11 भंवरलाल की मृत्यु हो गयी, जिसके विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लिये बिना ही डिक्री जारी कर दी गयी, जो मृतक के विरुद्ध जारी होने से उक्त निर्णय व डिक्री विधि विरुद्ध होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा अपीलान्टगण का प्रतिदावा स्वीकार फरमाया जावे।

इसी प्रकार द्वितीय अपील संख्या 25/2024 के विद्वान अभिभाषक ने अपने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों को दरकिनार रखते हुए दस्तावेजों पर बिना गौर किये निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के कब्जे की भूमि भी बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये


 पू.प्र.अ. एवं रा.अ.उ.
 उदयपुर (राज.)


वादी को प्रदान कर दी। अधिनस्थ न्यायालय ने रैस्पॉन्डेन्ट संख्या 1 से मिलीभगत कर वादी/रैस्पॉन्डेन्ट संख्या 1 को नाजायज लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रकरण में दिनांक 28-11-2023 को दिनांक 06-12-2023 की पेशी दी, किन्तु बाद में पुनःश्च अंकित करते हुए अपीलान्ट के विरुद्ध प्रकरण में एकतरफा आदेश पारित कर दिया एवं अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये कथित निर्णय पारित कर डिक्री जारी कर दी, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रैस्पॉन्डेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों का विधिवत विवेचन करते हुए तनकीवार निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से दोनों अपीलें खारिज की जावे।



हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। जहां तक प्रथम अपील संख्या 20/2024 का प्रश्न है, भू-प्रबन्ध विभाग के खसरा संवत् 2024 के अनुसार वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित आराजियात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के सहखातेदारी में अंकित है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय बिना किसी आधार के सेटलमेन्ट के इन्द्राज को त्रुटि मानते हुए उससे बने हाल आराजी नंबर 664/600 का रकबा दुरस्त करते हुए 3 बीघा 16 बिस्वा के स्थान पर 8 बीघा 9 बिस्वा का खातेदार एक मात्र वादी को घोषित कर दिया, जबकि पूर्व में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 11 की सहखातेदारी में उक्त आराजियात दर्ज थी एवं इस बाबत् अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 से 11 द्वारा खण्डन का जवाबदावा एवं प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया है, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं किया गया है एवं प्रतिदावे पर किसी प्रकार का निर्णय पारित नहीं किया गया है। तदनुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।


जहां तक द्वितीय अपील संख्या 25/2024 का प्रश्न है, जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 में आराजी नंबर 608/215 रकबा 5 बीघा भूमि नगरपालिका नाथद्वारा के नाम अंकित है तथा भू-प्रबन्ध विभाग के खसरा परिशोधन पत्र अनुसार आराजी नंबर 608/215 रकबा 5 बीघा के साबिक


 नू.प्र.ज. एवं सा.अ.अ.
 उदयपुर (राज.)

आराजी नंबर 278 मी. थे, जो बिलानाम सिवायचक दर्ज थी, जो प्रस्तुत नक्शा ट्रेस प्रदर्श 2 अनुसार विवादित आराजी नंबर 660/600 से सटी हुई भूमि है। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 28-11-2023 में "पत्रावली वास्ते शहादत प्रतिवादी आयदा दिनांक 06-12-2023 को पेश।" का अंकन है। किन्तु पुनःश्च लिखकर "प्रतिवादी संख्या 12 व 13 को पूर्व में भरपूर अवसर जिरह व जवाब पेश करने हेतु दिये गये, परन्तु आज दिनांक तक जिरह व जवाब पेश नहीं किया। अतः प्रतिवादी संख्या 12 व 13 का जवाब व जिरह बंद किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 12 व 13 बावजूद सूचना अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या 12 व 13 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते शहादत प्रतिवादी आयदा तारीख 06-12-2023 को पेश हो।" उक्त आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 12 व 13 का जवाब व जिरह करने का अवसर बंद कर दिया, जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 12 व 13 को जवाब व जिरह करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, जबकि राजस्व रेकार्ड अनुसार प्रतिवादी संख्या 13 अर्थात हाल अपीलान्ट नगरपालिका नाथद्वारा विवादित आराजी नंबर 608/215 रकबा 5 का खातेदार दर्ज है एवं विवादित आराजी नंबर 660/600 से सटी हुई भूमि है। ऐसी स्थिति में हम नगर पालिका का सुनवाई का अवसर दिया जाकर निर्णय पारित किया जाना उचित समझते हैं।



उपरोक्तानुसार दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 16-01-2024 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में दोनों अपीलों के अपीलान्टगण अर्थात प्रतिवादीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर विधि के आलोक में पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 12-09-2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 12-07-2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।


 (प्रदीपसिंह सामावत)
 भू-प्रबन्ध अधिकारी
 एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
 उदयपुर